



ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...



सुनीता का सपना हुआ साकार
(पृष्ठ - 02)



योजना के सहारे संवारा जीवन
(पृष्ठ - 03)



सतत् जीविकोपार्जन योजना
जिला एवं राज्य स्तरीय गतिविधियाँ
(पृष्ठ - 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना एक नई रोह

माह - सितंबर 2022 || अंक - 14

सतत् जीविकोपार्जन योजना से गरीब परिवारों के जीवन में आई खुशहाली

बिहार सरकार द्वारा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने हेतु 'सतत् जीविकोपार्जन योजना' की शुरुआत 5 अगस्त 2018 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। योजना का विस्तार वर्ष 2024 तक के लिए किया गया है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत जीविका के ग्राम संगठनों द्वारा जन समुदायों की सहभागिता से लक्षित परिवारों का चयन किया जाता है। जीविका ग्राम संगठनों द्वारा अब तक कुल 1.50 लाख अत्यंत निर्धन परिवारों की पहचान करते हुए उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना हेतु चयनित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत चयनित परिवारों के आजीविका संवर्धन हेतु उनका क्षमतावर्धन किया जाता है। अबतक कुल 1.35 लाख परिवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत चयनित परिवारों का क्षमतावर्धन करने एवं गृह भ्रमण करके उन्हें आजीविका के संचालन में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रति 30–35 परिवारों के लिए एक मुख्य संसाधन सेवी (एम.आर.पी.) की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके लिए परियोजना द्वारा अबतक कुल 4,800 मुख्य संसाधन सेवियों का चयन कर उनके क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत चयनित परिवारों को प्रशिक्षण के उपरांत विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे व्यवसायों, गाय एवं बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन तथा कृषि संबंधित जीविकोपार्जन गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए जीविकोपार्जन सूक्ष्म नियोजन के आधार पर ग्राम संगठनों द्वारा अबतक कुल 1,21,108 परिवारों के लिए एकीकृत परिसंपत्तियों का सूजन कर उन्हें हस्तांतरित किया गया है। इन परिवारों में से 86,199 परिवार छोटे उद्यम, 34,312 परिवार गाय एवं बकरी पालन तथा 597 परिवार कृषि संबंधी आजीविका गतिविधियों से जुड़े हैं। योजना के तहत सहयोग प्राप्त कर 4,308 परिवारों द्वारा दो व्यवसाय शुरू किया गया है।

योजना अंतर्गत चयनित दीदी को जीविका ग्राम संगठनों के माध्यम से जीविकोपार्जन अंतराल राशि के रूप में 7 महीने तक प्रति माह एक-एक हजार रुपये की राशि दी जा रही है। इस राशि का उपयोग खाद्य सुरक्षा, इलाज, घरेलू सामग्रियों की खरीद या अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अबतक कुल 1,14,501 परिवारों को जीविकोपार्जन अंतराल राशि उपलब्ध कराई गयी है।

योजना अंतर्गत चयनित परिवारों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा गया है:-

- **जीवन बीमा से जुड़ाव :** चयनित परिवारों में से योग्य कुल 1,14,124 सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा कुल 1,18,442 सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ाव करवाया गया है।
- **जन वितरण प्रणाली :** लक्षित परिवारों में से 1,10,084 परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड उपलब्ध करवाया गया है।
- **पशुपालन विभाग के सहयोग से बकरी का टीकाकरण :** सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत 25 प्रतिशत से अधिक परिवारों ने बकरी पालन को आजीविका विकल्प के रूप में अपनाया है। इन परिवारों को पशुपालन विभाग के सहयोग से पीपीआर टीकाकरण करवाया गया है। जीविका द्वारा जून 2022 में प्रशिक्षित पशु सखी के माध्यम से 26,512 परिवारों की कुल 98,744 बकरियों को कृमिनाशक दवा पिलाई गई है।

जीविकोपार्जन कलस्टर का निर्माण : सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत अबतक 12 जिलों में जीविकोपार्जन कलस्टरों का विकास किया गया है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान निम्न आधार पर की जाती है-

- समुदाय के सदस्य समूह से आते हैं।
- परिवारों की बसावट एक दूसरे के समीप हो एवं उनके पास समान प्रकार के ऐसे व्यवसाय हों, जिनमें अधिकतर पारंपरिक व पिछड़ी अवस्था में हों।
- कलस्टर के परिवारों को उत्पाद की गुणवत्ता, तकनीकी उन्नयन और बाजार से जुड़ाव से संबंधित एक समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता हो।

प्रेक्षणा की झोत छनी पूनम

समस्तीपुर जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम लगुनिया रघुकंठ, भिड़ी टोल की रहने वाली पूनम देवी सतत् जीविकोपार्जन योजना का लाभ लेकर अब खुशहाल जीवन जी रही हैं। 30 वर्षीया पूनम मैट्रिक पास हैं। इस योजना से जुड़ाव के पूर्व वह बेहद आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थीं। पति की बीमारी और परिवार के बढ़ते खर्च के कारण पूनम की आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी।

इसी बीच उनके पड़ोसियों द्वारा उन्हें जीविका के बारे में जानकारी दी गयी। जिसके बाद पूनम जीविका समूह से जुड़ गयीं। इसी दौरान उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए संबंधित ग्राम संगठन द्वारा उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में चयनित किया गया। योजना के तहत मिली 30 हजार की राशि से उन्होंने 29 जनवरी 2020 को किराना दुकान प्रारंभ किया। जब पूनम ने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया तो पड़ोसियों ने खूब फ़िक्रियां कसी और परेशान करने का प्रयास किया। इन झंझावातों को झेलते हुए भी पूनम ने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहीं।

बहरहाल पूनम देवी की हिम्मत और प्रयास के कारण दुकान की परिसंपत्ति बढ़कर लगभग एक लाख रुपए तक हो गई है। पूनम की मासिक आमदनी करीब 9,000 रुपये है। पूनम की आर्थिक स्थिति अब बेहतर हो गयी है और वह अपने परिवार का भरण-पोषण सही तरीके से कर रही हैं। पूनम अब बीमार पति का इलाज भी सही ढंग से करवा रही हैं। पूनम ने आय के पैसों से बचत करना प्रारंभ किया और इन्हीं पैसों से उसने बकरी एवं गाय खरीदकर उसे पालना शुरू कर दिया। जिससे उनकी आय में और भी ज्यादा वृद्धि हुई। सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद पूनम आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त हुई हैं। पूनम और उनके परिवार के व्यवहार में भी काफी परिवर्तन आया है। पूनम ने घर में शौचालय बनवाया है और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही हैं। अब उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब वह काफी खुश है।



सुनीता का जपना हुआ भावाक

सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड अंतर्गत चुन्नी पंचायत की रहने वाली सुनीता देवी सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़कर अब स्वावलंबन की ओर अग्रसर हैं। सुनीता दीदी का परिवार पहले मजदूरी पर आश्रित था। उनके पति मजदूरी करते थे और वर्ष 2008 में एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद सुनीता के जीवन में दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा। 4 बेटियों समेत पांच बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी अकेले सुनीता के कंधे पर आ गई। इस बुरे वक्त में उसे सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे समय में सुनीता को जीविका का सहारा मिला।

सुनीता शिवगुरु जीविका समूह से जुड़कर जीविका की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। सुनीता की दयनीय स्थिति को देखते हुए वर्ष 2019 में कबीर जीविका ग्राम संगठन ने उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में चयनित किया। योजना से जुड़ने के बाद उनका क्षमतावर्धन किया गया। इसके बाद ग्राम संगठन के माध्यम से सुनीता को योजना के तहत कुल 37,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस राशि से उन्होंने 18 दिसंबर 2019 को किराना दुकान प्रारंभ किया। किराना दुकान चलाने में एम.आर.पी. इनकी काफी मदद करती है। सुनीता काफी लगन एवं मेहनत से किराना दुकान चलाती हैं। दुकान की बिक्री अब काफी अच्छी होने लगी है। प्रत्येक माह औसतन 6 हजार रुपये से ज्यादा की आमदनी होने लगी है। इस साल जून माह में उन्हें 8,086 रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ। वर्ही, मई माह में 7,456 रुपये, अप्रैल में 5,938 रुपये, मार्च में 10,890 रुपये और फरवरी माह में 9,590 रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। इस आमदनी से वह न केवल अपने परिवार का अच्छी तरह पालन-पोषण कर रही हैं बल्कि वह बैंक में बचत भी करती हैं। आज सुनीता अपनी इस आजीविका की वजह से अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं। वह कहती हैं कि मेरा सपना अब साकार होने लगा है।



योजना के भहाबे भवाबा जीवित



मुश्किल भवाब में मिला योजना का भहाबा

किसा देवी सारण जिला के दरियापुर प्रखंड स्थित दरियापुर पंचायत के कोइला गाँव की रहने वाली हैं। किसा दीदी के पति 2017 में एक दुर्घटना का शिकार होकर शारीरिक रूप से लाचार हो गए। इससे उनके घर कमाने वाला कोई नहीं रहा और उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा। पांच बच्चों समेत परिवार के सात सदस्यों के भोजन पर भी आफत आ गयी।

किसा दुर्गा जीविका समूह से जुड़ी थीं। ऐसे में वह समूह से ऋण लेकर अपने पति का इलाज करा रही थीं। इसी बीच किसा देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए वर्ष 2018 में ग्राम संगठन ने उन्हें सतत जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में चयनित किया। इसके उपरांत आजीविका संवर्धन हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया गया। इसके बाद ग्राम संगठन के माध्यम से विशेष निवेश निधि के तहत 10,000 रुपया और जीविकोपार्जन निवेश निधि के रूप में 20 हजार रुपया उपलब्ध कराया गया। इस राशि से उन्होंने 6 दिसंबर 2019 को किराना दुकान प्रारंभ किया। इसके अलावा सात माह तक प्रति माह एक-एक हजार रुपये जीविकोपार्जन अंतराल राशि प्रदान की गई।

किसा देवी एक कुशल व्यवसायी के रूप में दुकान का संचालन कर रही हैं। दुकान से प्राप्त आमदनी से उन्होंने पूंजी निवेश किया और सब्जी-फल एवं अंडे भी बेचने लगी। इससे उनकी आय काफी बढ़ गई। दुकान की आय से वह मुर्गी पालन और खेती भी करने लगी हैं। अभी उनके पास 80 मुर्गियां हैं और इससे वह अंडों का उत्पादन कर दुकान में बेचती है। इस प्रकार किसा देवी को आजीविका के विभिन्न साधनों से कुल मिलाकर 12,000 से 15,000 रुपये की मासिक आय होने लगी हैं। वर्तमान में दुकान की परिसंपत्ति बढ़कर करीब एक लाख रुपये हो गई है। अब वह अपने पति का इलाज अच्छे से कराने के साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रही है। इस प्रकार सतत जीविकोपार्जन योजना से प्राप्त मदद से किसा देवी आत्मनिर्भर बन गई हैं।

कपूरमणी का जन्म वर्ष 1976 में पूर्णियाँ जिला के धमदाहा प्रखंड स्थित रंगपुरा दक्षिण पंचायत के सवैया गाँव में हुआ था। बचपन में उसे दमा की बीमारी हो गई थी। पिता ने कपूरमणी का काफी ईलाज करावाया, परंतु उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो पायी। जब वह बड़ी हुई तब उसके पिता ने उसकी शादी के लिए लड़का ढूँढ़ना शुरू किया। लेकिन बीमारी की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। जिससे उनके पिता परेशान रहने लगे। इस बीच उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह अपने भैया-भाभी के साथ रहने लगी। लेकिन आर्थिक कठिनाईयों एवं मतभेद के कारण वह ज्यादा दिन उनके साथ नहीं रह पायी। उसी दौरान एक व्यक्ति से 1,000 रुपये का कर्ज लेकर वह देशी शराब का कारोबार करने लगी। शराब के कारोबार से उन्हें कुछ आमदनी होना शुरू ही हुआ था कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में शराबबंदी लागू कर दी गयी और उनका कारोबार बंद हो गया। इससे वह पुनः आर्थिक तंगी से जूझने लगी और उन्हें अपना पेट भरना भी मुश्किल हो गया।

कपूरमणी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए शक्ति जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा उनका चयन सतत जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में किया गया। इसके बाद उन्हें व्यवसाय संचालन हेतु प्रशिक्षण दिया गया। योजना के तहत विशेष निवेश निधि के 10,000 रुपए से ग्राम संगठन द्वारा दुकान का निर्माण किया गया। इसके बाद जीविकोपार्जन निवेश निधि से प्राप्त 20,000 रुपये से कपूरमणी के लिए किराना दुकान खुलवाया गया। वहीं, सात महीने तक प्रत्येक माह एक-एक हजार रुपये उन्हें खाने-पीने के लिए दिए गए। दुकान की आमदनी से कपूरमणी ने दो बकरी खरीदकर बकरी पालन का कार्य भी प्रारंभ किया। आय बढ़ाने के लिए वह दुकान में अंडा भी बेचने लगी है। वर्तमान में दुकान की पूंजी बढ़कर लगभग 41,000 रुपये हो गई है। उसे प्रत्येक माह औसतन 4,000 रुपये से अधिक की आमदनी हो रही है। अब उनका जीवन संवर गया है।





सतत् जीविकोपार्जन योजना जिला एवं राज्य क्षत्रीय गतिविधियां



समीक्षा सह ग्रेजुएशन योजना निर्माण बैठक

सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थियों को ग्रैजुएट कराने के लक्ष्य को हासिल करने हेतु समीक्षा और रणनीति तैयार करने के लिए दिनांक 2 और 3 अगस्त को अधिबेशन भवन, पटना में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिला नोडल, डी.आर.पी., बी.पी.एम., बी.आर.पी. एवं जीविका तथा बंधन कोन्नगर की राज्यस्तरीय एस.जे.वाई. टीम के सदस्य सामिल हुए। इस बैठक में लाभार्थी परिवारों को ग्रैजुएट कराने हेतु प्रखंड वार लक्ष्य, बित्तीय स्थिति एवं रणनीति की समीक्षा की गई। साथ ही कर्मियों की योजना के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं का हल किया गया।



विभिन्न स्नातक मॉडल पर कार्यशाला

4 अगस्त 2022 को पटना में विभिन्न स्नातक मॉडल पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। अतिथि वक्ता विश्व बैंक के वरिष्ठ सलाहकार श्री सैयद एम हाशोमी ने सुरक्षा चक्र, आजीविका गतिविधियों और वित्तीय सेवाओं को एकीकृत करके सबसे गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए नए रास्ते विकसित करके एक सफल बहुदेशीय कार्यक्रम के डिजाइन पर चर्चा की। इस कार्यशाला का उद्देश्य अगले स्तर पर सतत् जीविकोपार्जन योजना की स्थिति, प्रगति और दायरे को समझना था। अति गरीबों के लिए बिहार में चल रही कार्यनीतियों और वर्तमान स्नातक मॉडल को प्रस्तुत किया गया।



मधुबन, पूर्वी चंपारण में स्नातक कार्यक्रम

मधुबन प्रखंड की एसजेवाई दीदी गरीबी के चक्रव्यूह को तोड़ने पर अपनी जीत का जश्न मना रही हैं। 124 दीदी अब 4000 से 5000 रु मासिक आय अर्जित करने में सक्षम हो गई हैं। दीदियां अपने स्वयं के उद्यमों को बहुत ही कुशल तरीके से संभाल रही हैं और हर एसजेवाई दीदी का खुद पर आत्मविश्वास बढ़ा है बल्कि वे दूसरी जीविका दीदियों को आगे बढ़ने के लिये प्रेरित कर रही हैं।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम

- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अजीत रंजन, राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी –परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम

- श्री रतिस मोहन –परियोजना प्रबंधक (सामाजिक सुरक्षा)
- श्री विप्लव सरकार – प्रबंधक संचार
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, समरतीपुर

श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, पूर्णिया

- श्री विकास कुमार राव – प्रबंधक संचार, सुपौल